



कार्यालय-नगर पंचायत तपोवन, टिहरी गढ़वाल



email:-nagerpanchayatapovan@gmail.com

पत्रांक- मेमा/न०अना०/होम-स्टे, होटल/2022-2023

दिनांक- 08/11/2023।

सेवार्थे,

जिला पर्यटन अधिकारी,
नई टिहरी, जिला टि०ग०।

विषय - होम-स्टे/होटल रजिस्ट्रेशन के नवीनकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत के सम्बन्ध में।

महोदय,

श्रीमति बीना चौहान पति श्री हेमन्त चौहान पता नगर पंचायत तपोवन तहसील-नरेन्द्रनगर जिला टिहरी गढ़वाल द्वारा बनाये गये SHIVANSH HOME STAY के नाम से रजिस्ट्रेशन का नवीनकरण करने हेतु निम्न शर्तों पर निर्गत किया गया है।

- 1- आवेदक का मानचित्र के अनुसार ही भवन निर्माण हो।
 - 2- आवेदक का किसी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण व क्षति नहीं पहुंचानी हो।
 - 3- आवेदक का होम-स्टे/होटल खाता खतौनी में दर्शित भूमि एवं नक्शे में अंकित माप पर ही भवन का निर्माण किया गया हो।
 - 4- भवन के स्वामी द्वारा पंचायत मार्गों व नालियों पर अतिक्रमण नहीं करना होगा, व छत की निकासी हेतु पी०बी०सी० पाईप द्वारा सार्वजनिक नालियो तक स्वयं के व्यय पर पहुंचानी होगी।
 - 5- आवेदनकर्ता को कूड़ा निस्तारण हेतु अपने परिवार में जैविक व अजैविक कूड़ेदान लगाने होंगे।
 - 6- आवेदक जो नगर पंचायत द्वारा का आरोपित करों का भुगतान समय-समय पर करना होगा।
 - 7- आवेदक द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का सत्यापन प्रत्येक तिमाही में पुलिस द्वारा और जो नवीन कर्मचारी आवेदक द्वारा रखा जाता है, तो उसका सत्यापन प्रथम दिवस में ही करवाना होगा।
- उपरोक्त शर्तों का पालन न करने पर यह अनापत्ति स्वतः-निरस्त मानी जायेगी।
- अतः उपरोक्तानुसार अनापत्ति निर्गत की जाती है।


जिला पर्यटन अधिकारी
नगर पंचायत तपोवन, टिहरी गढ़वाल
टिहरी गढ़वाल